



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112021-231049
CG-DL-E-12112021-231049

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4332]
No. 4332]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4697(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1392 (अ) तारीख 22.03.2021 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा बिहार राज्य में बरौनी – गुवाहाटी पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन, बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

बरौनी - गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना अनुसूची					
राज्य : बिहार					
जिला	अंचल	मौजा	थाना नं	सर्वे नं	क्षेत्रफल हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
बेगूसराय	बेगूसराय	राजा डुमरी	505	10	00 10 33
				12	00 00 84
				11	00 18 53
				8	00 14 94
बेगूसराय	बेगूसराय	लाखो	337	197	00 02 91
				196	00 19 80
				195	00 00 29
				191	00 03 97
				190	00 00 34
बेगूसराय	बेगूसराय	राजा डुमरी	338	453	00 00 20
				452	00 01 53
				451	00 07 77
				450	00 05 31
				449	00 00 97
				447	00 02 81
				446	00 04 36
				445	00 04 47
				444	00 05 83
				373	00 06 62
				292	00 17 38
				291	00 17 49
				288	00 00 10
				287	00 05 38

1	2	3	4	5	6
बेगूसराय	बेगूसराय	राजा डुमरी	338	286	00 16 76
				285	00 00 97
				280	00 06 36
				279	00 09 46
				274	00 17 70
				271	00 13 21
				267	00 23 11
				268	00 00 85
				262	00 16 71
				261	00 03 06
				244	00 00 23
				259	00 10 06
				252	00 02 72
				260	00 06 60
				248/471	00 01 29
				242/482	00 00 52
				251	00 10 99
				249	00 01 28
बेगूसराय	बेगूसराय	सूजा	350	1181	00 08 69
				1183	00 01 16
				1179	00 00 88
				1184	00 03 01
				1186	00 18 61
				1206	00 01 53
				1203	00 07 03
				1204	00 10 85
				1201	00 02 46
				1213	00 05 26
				1214	00 17 76
				1217	00 25 82
				1271	01 02 11
				1728	00 14 50
				1283	00 03 65
				1310	00 16 02
				1309	00 04 49

1	2	3	4	5	6
बेगूसराय	बेगूसराय	सूजा	350	1308	00 08 16
				1289	00 30 91
				1293	00 01 10
				1290	00 00 44
				1292	00 06 91
				1291	00 06 97
				1368	00 04 99
				1367	00 18 15
बेगूसराय	बेगूसराय	भर्रा	352	1504	00 32 63
				1552	00 08 33
				1505	00 00 10
				1553	00 09 72
				1558	00 00 12
				1551	00 10 66
				1550	00 10 60
				1548	00 10 24
				1549	00 06 06
				1544	00 00 16
				1545	00 08 49
				1547	00 00 40
				1546	00 03 10
				1976	00 06 81
				1975	00 08 56
				1977	00 01 38
				1978	00 20 18
				1979	00 01 13
				1991	00 19 62
				1999	00 04 71
				2000	00 04 61
				2001	00 04 79
				2002	00 08 19
				2003	00 00 78
				2004	00 00 10
				2014	00 03 88
				2015	00 03 02

1	2	3	4	5	6
बेगूसराय	बेगूसराय	भर्रा	352	2016	00 21 46
				2499	00 01 71
				2017	00 04 96
				2498	00 05 47
				2034	00 03 61
				2497	00 12 86
				2496/2848	00 07 11
				2496	00 13 14
				2493	00 00 09
				2494	00 05 04
				2495	00 10 80
				2512	00 03 63
				2060	00 00 98
				2490	00 01 58
				2489	00 03 42
				2485	00 02 77
				2484	00 03 22
				2483	00 05 51
				2478	00 05 44
				2479	00 00 19
				2471	00 02 46
				2465	00 00 02
				2466	00 00 20
				2467	00 06 76
				2460	00 01 63
				2459	00 01 53
				2468	00 05 98
				2458	00 03 05
				2457	00 03 86
				2454	00 00 37
				2453	00 00 01
				2455	00 04 62
				2448	00 09 98
				2447	00 03 28
				2440	00 06 82

1	2	3	4	5	6
बेगूसराय	बेगूसराय	भर्रा	352	2441	00 07 18
				2419	00 06 20
				2423	00 00 16
				2420	00 23 97
				2418	00 04 59
				2376	00 00 41
				2377	00 16 50
				2378	00 06 71
				2379	00 09 29
				2380	00 14 47
				2381	00 05 22
				2385	00 00 97
				2395	00 01 25

[फा. सं. एल-14014/142/2021-जीपी-II (ई-40191)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4697(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 1392(E) dated 22.03.2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati pipeline in the State of Bihar by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT SCHEDULE					
State : Bihar					
District	Anchal	Village	JL No.	Survey No.	Area
					Hect.- Are - Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Begusarai	Begusarai	Raja Dumari	505	10	00 10 33
				12	00 00 84
				11	00 18 53
				8	00 14 94
Begusarai	Begusarai	Lakho	337	197	00 02 91
				196	00 19 80
				195	00 00 29
				191	00 03 97
				190	00 00 34
Begusarai	Begusarai	Raja Dumari	338	453	00 00 20
				452	00 01 53
				451	00 07 77
				450	00 05 31
				449	00 00 97
				447	00 02 81
				446	00 04 36
				445	00 04 47
				444	00 05 83
				373	00 06 62
				292	00 17 38
				291	00 17 49
				288	00 00 10
				287	00 05 38
				286	00 16 76
				285	00 00 97
				280	00 06 36
				279	00 09 46
				274	00 17 70
				271	00 13 21
				267	00 23 11
				268	00 00 85
				262	00 16 71
				261	00 03 06
				244	00 00 23
				259	00 10 06
				252	00 02 72
				260	00 06 60
				248/471	00 01 29
				242/482	00 00 52
				251	00 10 99
				249	00 01 28
Begusarai	Begusarai	Suja	350	1181	00 08 69
				1183	00 01 16
				1179	00 00 88
				1184	00 03 01
				1186	00 18 61
				1206	00 01 53
				1203	00 07 03
				1204	00 10 85
				1201	00 02 46
				1213	00 05 26
				1214	00 17 76
				1217	00 25 82

1	2	3	4	5	6
Begusarai	Begusarai	Suja	350	1271	01 02 11
				1728	00 14 50
				1283	00 03 65
				1310	00 16 02
				1309	00 04 49
				1308	00 08 16
				1289	00 30 91
				1293	00 01 10
				1290	00 00 44
				1292	00 06 91
				1291	00 06 97
				1368	00 04 99
				1367	00 18 15
Begusarai	Begusarai	Bharra	352	1504	00 32 63
				1552	00 08 33
				1505	00 00 10
				1553	00 09 72
				1558	00 00 12
				1551	00 10 66
				1550	00 10 60
				1548	00 10 24
				1549	00 06 06
				1544	00 00 16
				1545	00 08 49
				1547	00 00 40
				1546	00 03 10
				2454	00 00 37
				2453	00 00 01
				2455	00 04 62
				2448	00 09 98
				2447	00 03 28
				2440	00 06 82
				2441	00 07 18
				2419	00 06 20
				2423	00 00 16
				2420	00 23 97
				2418	00 04 59
				2376	00 00 41
				2377	00 16 50
				2378	00 06 71
				2379	00 09 29
				2380	00 14 47
				2381	00 05 22
				2385	00 00 97
				2395	00 01 25

[F. No. L-14014/142/2021- GP - II (E-40191)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.